न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 59/2017

1. तेजकौर पत्नी सरूपसिंह
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र सरूपसिंह
3. कालासिंह पुत्र सरूपसिंह

जाति मजहबी निवासी 62 एफ हाल आबाद 63 जीबी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

4. पालो पत्नी सरदूलसिंह पुत्री सरूपसिंह जाति मजहबी निवासी 29 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. कायलो उर्फ कैलो पत्नी सरजीत सिंह पुत्री सरूपसिंह जाति मजहबी निवासी 29 एसटीजी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
6. भोली पत्नी भूरासिंह पुत्री सरूपसिंह जाति मजहबी निवासी 2 पीजीएम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।
7. मनजीत कौर पत्नी लखविन्द्रसिंह पुत्री सरूपसिंह जाति मजहबी निवासी मीरा बौंक श्रीगंगानगर।
8. कृष्णा पत्नी मोदनसिंह पुत्री सरूपसिंह जाति मजहबी निवासी 14 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर।

बनाम

1. जगदीशराम पुत्र मुन्शीराम
2. गोपालचन्द पुत्र मुन्शीराम
3. रमेशचन्द पुत्र मुन्शीराम
4. रामचन्द पुत्र सोहनाराम
5. आतुराम पुत्र सोहनाराम

जाति कम्बोज निवासी 61 एफ तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर
दिनांक 01.03.2017

28/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

उपस्थितः—

श्री सुरेश अरोडा, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री प्रेमप्रकाश मक्कड अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांक 28.11.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष पेश किया जिसके साथ रा0का0अ0 की धारा 212 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया वाद के निर्णय तक चक 62 एफ के खाता सं0 22/35 के मु.न. 3 के कि.न. 1 से 13 की 3.162 है. तथा मु0न0 52/1 के कि.न. 0/ 2 की 0.076 है0 भूमि पर रिसीवर नियुक्त किया जावे एवं जब तक रिसीवर नियुक्त नहीं किया जाता तब तक विवादित भूमि को रहब बैय आदि से मुन्तकिल नहीं करने के आदेश दिये जावें।

अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर ने दिनांक 01.03.2017 को प्रार्थना प्रत्र खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थीगण ने अधी. न्यायालय में वाद एवं धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पेश किया था प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को आधार पर हर प्रकार से मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित था । यदि रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता था तो अन्य जो अनुतोष जो अपीलार्थीगण ने मांगा था वह दिये जाने में कोई कानूनी बांधा नही थी । अधी. न्यायालय ने धारा 212 आरटीए के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का आदेश में कोई विवेचन नहीं किया। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें ।

28/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में विस्तृत विवेचन करते हुए प्रार्थीगण का किसी प्रकार से मामला नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 01.03.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें निषेधाज्ञा के सिद्धान्तों का विवेचन किये बगैर निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र गलत से ढग से खारिज किया है। अतः अधी. न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी0न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधी0 न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के निहित प्रावधानों का विवेचन किये बगैर निर्णय पारित किया है अस्थाई निषेधाज्ञा के आज्ञापक Ingridiants यथा Prima facie case Balance of convenience एवं Irreparable loss का केवल विवेचन Mandatory है अपितु उपरोक्त में से तीनों Consolidated विवेचन वादी या प्रतिवादी के पक्ष या विरूद्ध में विवेचन ही निर्णय का आधार निर्देशित है परन्तु इन सिद्धान्तों का विवेचन तो दूर अधी0 न्यायालय द्वारा निर्णय में जिक्र तक नहीं करना निर्णय का Legal default होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया जाता है कि तथ्यों, विधि, दस्तावेजों guiding Principles का विवेचन अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों Ingridiants के परिप्रेक्ष्य में कर पुनः निर्णय पारित करें ।

निर्णय दिनांक 28.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर